न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–1155/2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–76/2026

UPGZ010027202026

1.अहमद खान पुत्र साबिर, निवासी–ग्राम–बसुहाम पोस्ट बहेडा, वार्ड सं० 9, जिला–दरभंगा, बिहार।

2.रयाज खान पुत्र अनवार खान, निवासी–ग्राम–बसुहाम पोस्ट बहेडा, वार्ड सं० 9, जिला–दरभंगा, बिहार----------आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–18/2026
धारा–8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–विजयनगर, गाजियाबाद

09.03.2026

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–18/2026 धारा–8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–विजयनगर, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से नफीस खान पुत्र मोह जब्बार खान का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना, एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो भी बरामदगी दर्शित की गयी है वह पुलिस द्वारा फर्जी रूप से दर्शायी गयी है। अभियुक्तगण मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और गाजियाबाद में मजदूरी करने के लिये आये थे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही अभियुक्तगण को थाना हाजा की पुलिस द्वारा पकड़ लिया और थाना हाजा की पुलिस पूछताछ के बहाने अभियुक्तगण को थाने लेकर गयी और छोड़ने की एवज में अवैध धन की मांग की, मांग पूरी न करने पर उक्त झूठी बरामदगी दिखाते हुए उक्त मुकदमें में जेल भेज दिया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण पर धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्तगण शान्तिप्रिय व्यक्ति है। अभियुक्तगण अपनी माकूल जमानत देने के लिये तैयार है। अभियुक्तगण एक सम्मानित परिवार का सदस्य है, अतः

जमानत की याचना की गयी।

5– अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकगण अभियुक्तगण अहमद खान व रयाज खान तथा सह–अभियुक्तगण अफजल एवं जाबाज खान के कब्जे से पुलिस हमराही बल द्वारा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के परिसर में संयुक्त रूप से 71 किलोग्राम 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने आवेदकगण/अभियुक्ता के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह भी कथन किया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा नशीले पदार्थों को अवैध रूप से बेचे जाने के कारण ही आजकल के नवयुवक व नवयुवतियाँ उसका सेवन कर नशे के आदी हो जाते हैं, जिससे उनके भविष्य व कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा वह अपने लक्ष्य एवं मार्ग से भटक जाते हैं, जो कि समाज के लिये तथा देश के लिये अत्यंत घातक है, अतः आवेदकगण/अभियुक्ता के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाये।

6– उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में फर्द बरामदगी के अनुसार आवेदकगण अभियुक्तगण अमहद खान व रयाज खान तथा सह–अभियुक्तगण अफजल एवं जाबाज खान के कब्जे से पुलिस हमराही बल द्वारा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के परिसर में संयुक्त रूप से 71 किलोग्राम 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया जाना दर्शित है। उक्त अवैध गांजा की बरामदगी सहायक पुलिस आयुक्त, नगर जोन, गाजियाबाद के समक्ष किया जाना अभिवर्णित है। बरामद गांजा की मात्रा न्यूनतम वाणिज्यिक मात्रा बीस किलोग्राम से काफी अधिक है। केस डायरी के साथ संलग्न रासायनिक परीक्षण आख्या के अनुसार उक्त बरामद नशीला पदार्थ गांजा पाया गया है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा बरामद नशीले पदार्थ की मात्र आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अहमद खान व रयाज खान की ओर से मु०अ०सं०–18/2026 धारा–8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–विजयनगर, जिला गाजियाबाद प्रस्तुत जमानत आवेदन सं०–76/2026 निरस्त किया जाता है।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code– UP6480